निसंतान दम्पत्तियों के क्लिनिक पर बहस

निरूपा सेन

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में तकरीबन 8 करोड़ निसंतान दम्पत्ति हैं। इनमें से 15 फीसदी भारत में हैं। एक अनुमान है कि बांझपन का इलाज प्रति वर्ष 25000 करोड़ रुपए का कारोबार है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आई.सी.एम.आर.) ने भारतीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी के साथ मिलकर प्रजनन टेक्नॉलॉजी सम्बंधी राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों पर एक खुली बहस की शुरुआत की है। ये दिशा निर्देश ऐसी टेक्नॉलॉजी मुहैया कराने वाले क्लिनिक्स की मान्यता, निगरानी व नियमन से सम्बंधित हैं। मिस्र, ब्राज़ील, सऊदी अरब, कोरिया व मेक्सिको आदि देशों में ऐसे दिशा निर्देश व कानून पहले से मौजूद हैं। आई.सी.एम.आर. के महानिदेशक निर्मल कुमार गांगुली के मुताबिक भारत में प्रजनन टेक्नॉलॉजी से सम्बंधित दिशानिर्देश व कानून हैं ही नहीं। अब आई.सी.एम.आर. ने इन दिशानिर्देशों का मसौदा प्रकाशित किया है। यह इतना अहम विषय है कि इस पर व्यापक विचार-विमर्श आवश्यक है।

दुनिया के कई देशों में निसंतान दंपत्तियों को सामाजिक व पारिवारिक दबाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें कई सामाजिक कार्यों में शामिल होने की अनुमति नहीं होती। इन दम्पत्तियों पर इतना बोझ होता है कि वे हताश होकर 'इन्फर्टिलिटी क्लिनिक्स' (बांझपन के क्लिनिक्स) के दरवाज़े खटखटाने को मजबूर हो जाते हैं। भोले-भाले निसंतान युगल चाहते हैं कि किसी तरह मां-बाप बन जाएं। इस चाहत के चलते वे प्रजनन टेक्नॉलॉजी की कई अवांछनीय चालों में फंस जाते हैं। आज प्रजनन टेक्नॉलॉजी एक विशाल उद्योग है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में तकरीबन 8 करोड़ निसंतान दम्पत्ति हैं। इनमें से 15 फीसदी भारत में हैं। एक अनुमान है कि बांझपन का इलाज प्रति वर्ष 25000 करोड़ रुपए का कारोबार है। प्रजनन टेक्नॉलॉजी की सफलता दर 30 प्रतिशत है। यानी किसी भी दम्पत्ति के लिए इसके चक्कर में फंसना महंगा और भावनात्मक रूप से थकाने वाला सौदा हो सकता है।

प्रजनन टेक्नॉलॉजी की मदद से पहले शिशु का जन्म 1978 में हुआ था। यह शिशु शरीर से बाहर निषेचन व भ्रूण प्रत्यारोपण (आई.वी.एफ.-इ.टी) तकनीक से पैदा हुआ था। सरल शब्दों में तकनीक यह है कि अण्डे और शुक्राणु का मेल शरीर से बाहर एक तश्तरी में कराया जाता है और निषेचित अण्डे से विकसित भ्रूण को महिला की बच्चादानी में रोप दिया जाता है। इसी वर्ष भारत का पहला तथा विश्व का दूसरा आई.वी.एफ. शिशु कोलकाता में पैदा हुआ था।

भारत में आई.वी.एफ. गतिविधियों की निगरानी की ज़रूरत है। आई.सी.एम.आर. ने दिशानिर्देशों की भूमिका में देश में आई.वी.एफ. के इतिहास की चर्चा करते हुए 'घृणास्पद घटनाओं' का ज़िक्र किया है। बताया गया है कि "स्त्रियों से उनके अण्डे व भ्रूण चुरा लिए गए और अन्य दम्पत्तियों को या शोधकर्ताओं को दे दिए गए। उर्वरता की दवाइयां गैर कानूनी रूप से बेची जाती रही हैं और मेडिकल रिकॉर्ड गड़बड़ रहे हैं। भाड़े की मां के रूप में नियुक्त स्त्रियों ने पैदा हुए बच्चों को सौंपने से इन्कार किए हैं। कई विदेशी अनुर्वरता विशेषज्ञ भारत में ऐसे प्रयोग करते रहे हैं जो उनके अपने देशों में प्रतिबंधित हैं। भारत के कुछ आई.वी.एफ. क्लिनिक इन्टरनेट पर अण्डों पर भ्रूणों की बिक्री के दबे-छिपे विज्ञापन भी करते हैं।"

इस तरह की अवांछनीय गतिविधियों के मद्देनज़र प्रजनन टेक्नॉलॉजी सम्बंधी दिशानिर्देशों का मसौदा अत्यंत